न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक, कोर्ट सं0–1, उन्नाव।

सत्र परीक्षण संख्याः– 216/2015

राज्य बनाम राम प्रसाद आदि

दिनॉकः–13–2–2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त राम प्रसाद हाजिर है। शेष अभियुक्त अमरनाथ व संजू का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो केवल आज के लिये स्वीकृत। उभय पक्षो को सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 21–ख

अभियुक्त राम प्रसाद आदि द्वारा प्रार्थना पत्र 21ख बाबत तलब करने सफाई साक्ष्य इस आशय का दिया गया है कि उपरोक्त केस की पत्रावली में कोई ऐसा मौखिक साक्ष्य या अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह मालुम हो सके कि उक्त केस से सम्बन्धित सादी मिट्टी व रक्त रंजित (तथाकथित) मिट्टी परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ किसके द्वारा तथा किसकी सील लगाकर भेजा गया जिसके आधार पर वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी द्वारा परीक्षण परिणाम दिनॉकित 1–8–2015, न्यायालय को दिनॉक 7–11–2023 को प्राप्त हुई, इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। अतः वैज्ञानिक अधिकारी, भौतिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ, उ0प्र0 महानगर लखनऊ को सफाई साक्ष्य के रूप में तलब किये जाने की याचना की है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र 21–ख के पुष्ट पर आपत्ति इस आशय की अंकित की गयी है कि उक्त वाद में मुकदमा का डाकेट पुलिस अधीक्षक उन्नाव के हस्ताक्षर से तैयार कर कां0 वशिष्ठ नारायन सिंह द्वारा दिनाक 16–4–2013 को मद कमांक संख्या 4031 पर विधि विज्ञान प्रयोग शाला में प्राप्त कराया गया जिसकी प्राप्ति आदेश का हवाला केस डायरी के पर्चा संख्या 25 मे विवेचक द्वारा दर्ज किया गया है। परीक्षण रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी नगर के पत्र पर का0 दयाराम कनौजिया द्वारा लायी गयी है। प्रार्थना पत्र का विरोध किया जाता है।

उपरोक्त के संदर्भ में पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र 21ख में यह उल्लेख किया गया है कि पत्रावली में कोई ऐसा मौखिक साक्ष्य या अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह मालुम हो सके कि उक्त केस से सम्बन्धित सादी मिट्टी व रक्त रंजित (तथाकथित) मिट्टी परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ किसके द्वारा तथा किसकी सील लगाकर भेजा गया है। जब कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कां0 वशिष्ठ नारायन सिंह द्वारा दिनाक 16–4–2013 को मद कमांक संख्या 4031 पर विधि विज्ञान प्रयोग शाला लखनऊ में प्राप्त कराया गया है जिसकी प्राप्ति आदेश का हवाला केस डायरी के पर्चा संख्या 25 मे विवेचक द्वारा दर्ज किया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर के पत्र पर, का0 दयाराम कनौजिया द्वारा परीक्षण रिपोर्ट लायी गयी है। इस प्रकार अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र 21ख में उल्लिखित कथन निराधार हो जाते हैं। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 21–ख निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त राम प्रसाद आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 21ख दिनॉकित 19–12–2023 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते सफाई साक्ष्य/बहस दिनॉक 16–2–2024 को पेश हो।

(स्वतन्त्र प्रकाश)
अपर जिला जज्/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0–1, उन्नाव।